

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादायी (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती कविता गोदारा आर.ए.एस.


उनवान :- नाहर सिंह वगै० बनाम प्रवीण वगै०

दावा बाबत घोषणा एवं विभाजन

मुकदमा नं. :- 36152/2023

निर्णय दिनांक : 27.09.2023


वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पूनिया व प्रतिवादी गण की ओर से अधिवक्ता श्री अजय मुंदड़िया मय उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 27.09.2023 को श्रीमती कविता गोदारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत को पढ़कर सुनाया गया। उभय पक्षकारान ने अपने अधिवक्ताओं की उपस्थिति में राजीनामा सही व सत्य होना स्वीकार किया। बाद अवलोकन पत्रावली राजीनामा तस्दीक किया गया तथा स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। राजीनामा निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया गया। पत्रावली पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

  
(कविता गोदारा)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
	स्टाम्प अर्जी दावा		4
स्टाम्प वकालतनामा	21	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	25	योग	21

  
(कविता गोदारा)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू